रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07082025-265285
CG-DL-E-07082025-265285

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 491]	नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 6, 2025/श्रावण 15, 1947
No. 491]	NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 6, 2025/SHRAVANA 15, 1947

संस्कृति मंत्रालय

(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2025

सा.का.नि.534(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और .संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (समूह 'ग' अराजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2014 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संस्कृति मंत्रालय में बहुकार्य कर्मचारीवृन्द के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, बहुकार्य कर्मचारीवृन्द (समूह 'ग'), भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर:** - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं|

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं, आदि : - उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.- वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और कर्मचारी चयन आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति:- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन या अचयन पद।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. बहुकार्य कर्मचारीवृन्द	6152*(2025) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर–1 (18000-56900रू.)।	लागू नहीं होता।	18 वर्ष और 27 वर्ष की आयु के बीच। **टिप्पण:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**
(7)	(8)	(9)
आवश्यक: किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम से कम 10वीं पास। **टिपण्णी-:** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।

भर्ती की पद्धति भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिससे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से	लागू नहीं होता।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे; अपर महानिदेशक(प्रशासन), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण – अध्यक्ष; निदेशक(पुरातत्व), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण – सदस्य; और निदेशक (प्रशासन) या उप निदेशक (प्रशासन), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण – सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. जे – 11011/1/2024-योजना]

आनंद मधुकर, अपर महानिदेशक (प्रशासन)

MINISTRY OF CULTURE

(Archaeological Survey of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th August, 2025

G.S.R. 534(E).——In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Culture, Archaeological Survey of India, (Group 'C', Non-Gazetted posts), Recruitment Rules, 2014, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Multi Tasking Staff in the Archaeological Survey of India, Ministry of Culture, namely:-

1. Short title and Commencement.- (1)These rules may be called the Ministry of Culture, Archaeological Survey of India, Multi Tasking Staff (Group 'C' Post), Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in the pay matrix.- The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.-** No person,-

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt such person from the operation to this rule.

5. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Staff Selection Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedule Tribes, the Other Backward Classes, Ex- Servicemen and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
Multi Tasking Staff	6152* (2025) (*subject to variation dependent on workload).	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900).

Whether selection or non-selection post.	**Age-limit for direct recruits.**	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**
(5)	**(6)**	**(7)**
Not applicable	Between 18 and 27 years. **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	Essential: Minimum 10th pass from a recognised Board. **Note:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified.

Whether age and qualifications prescribed for direct recruitment will apply in case of promotes.	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filed by various methods.**
(8)	**(9)**	**(10)**
Not applicable	Two years.	By direct recruitment through Staff Selection Commission.

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation /absorption to be made.	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.**
(11)	**(12)**	**(13)**
Not applicable.	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (1) Additional Director General (Administration), Archaeological Survey of India - Chairman; (2) Director (Archaeology); and (3)Director (Administration) or Deputy Director(Administration) –Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. . J-11011/1/2024-Planning]

ANAND MADHUKAR, Addl. Director General (Administration)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA